(15)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/2404

प्रकरण क्रमांक- /2017-18 निगरानी

श्री S. P. Dhakad (Adv.) द्वारा आज दि. 13.4.18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

केसरबाई भावसार पत्नि स्व. श्री नर्मदा प्रसाद भावसार, निवासी- गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

......निगरानीकर्ता

बनाम

भूपेन्द्र चौरसिया पुत्र श्री जमना प्रसाद चौरसिया, निवासी- ग्राम बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थी

(Shobhit Soni) 13.4.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रातस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.03.2018 जो न्यायालय तहसीलदार बासौदा, जिला विदिशा के द्वारा प्रकरण क्रमांक- 68/अ-12/17-18 वउन्वान भूपेन्द्र चौरसिया बनाम शासन में पारित किया गया को अपास्त किए जाने बावत्।

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

प्रकरण के तथ्य -

1- यहकि, निगरानी कर्ता के स्वत्व, स्वामित्व एवम् आधिपत्य का भवन बसौदा, विदिशा में स्थित है, उक्त भवन भूमि सर्वे नम्बर- 292 पर स्थित है। निगरानीकर्ता के भवन के सामने शासकीय खाली भूमि स्थित है, जिस पर से विगत 60 वर्ष से निगरानीकर्ता का अपने भवन पर आने जाने का व अन्य मौहल्लेवासियों के आगमन का एकमात्र रास्ता है।

2- यहकि, प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 08.03.2018 को न्यायालय तहसीलदार महोदय, बासौदा के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक- 488/8 रकवा 0.038 हैक्टेयर भूमि स्थित कस्बा बासौदा के सीमांकन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वे क्रमांक- 488 के समस्त भू-स्वामियों व सर्वे क्रमांक- 488 से लगे अन्य खातेदारों

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशाभू.रा./2018/2404

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा ग्राम कस्बा बासौदा स्थित भूमि आराजी नं. 488/8 रकवा 0.038 हे. भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार बासौदा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सूचना-पत्र जारी करते हुए एवं पंचनामा तैयार कर सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाकर विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	